महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

संजय गवई
SANJAY GAWAI
वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव
FINANCE OFFICER & REGISTRAR

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230902
फैक्स /Fax : + 91-7152 247602
मोबाइल/Mobile : + 91-95453 35522

पत्रांकः 002/2012/निर्गत/2013-14/10/720

दिनांक 21.02.2015

परिपत्र/सूचना

पूर्व में जारी परिपत्र/सूचना क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/690, दिनांक 24.09.2013 के तारतम्य में विश्वविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जरूरी राशि तथा विश्वाविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदान के बीच अंतर को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार लिए गए निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं-

1. रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) अथवा उससे अधिक खर्च या वस्तुओं के क्रय का प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही सक्षम अधिकारी को भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसको ध्यान में रखते हुए केवल अतिआवश्यक खर्च के ही प्रस्ताव भेजे जाएं।
2. किसी भी प्रकार की संगोष्ठी/चर्चा सत्र या अन्य कार्यक्रम स्थगित किए जाएँ। ऐसे कार्यक्रम जो अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों केवल उन्हीं के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव के पूर्ण औचित्य के साथ पहले से ही भेजा जाना आवश्यक है।
3. किसी भी शिक्षक, अधिकारी या कर्मी को विश्वविद्यालय के खर्च पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजने की प्रक्रिया स्थगित की जाए।
4. किसी भी शिक्षक को संगोष्ठी/परिसंवाद के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में भाग लेने के लिए टीए/डीए, पंजीकरण शुल्क या अन्य किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों/अतिथि अध्यापकों को अधिकतम ट्रेन के वातानुकूलित 2 टायर का ही किराया भुगतान किया जाएगा।
6. छुट्टी यात्रा सुविधा हेतु जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की पात्रता है, को रेलमार्ग का, द्वितीय श्रेणी का गृह नगर/संपूर्ण भारत छुट्टी यात्रा सुविधा ही तत्काल प्रभाव से दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
7. मोबाइल फोन सुविधा के रूप में विभागाध्यक्षों एवं कुछ कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा में 30 प्रतिशत कटौती की जा रही है।

उपर्युक्त लिए गए निर्णयों में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार निर्णय/संशोधन माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ही लिया जाएगा।

सभी से सहयोग की अपेक्षा के साथ।

(संजय गवई)

प्रतिलिपिः- सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग- वेबसाइट के माध्यम से।

पोस्टः हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442005, (महाराष्ट्र), भारत
Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442005, (Maharashtra), India
ईमेल/Email:- registrar.mgahv@gmail.com, वेबसाइट/website:www.hindivishwa.org